न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/61/2017

उनवान

1. गोविन्दराम पुत्र जमना लाल ब्राह्मण निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाडा
2. घनश्याम पुत्र जमना लाल ब्राह्मण निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाडा
3. ओमप्रकाश पुत्र जमना लाल ब्राह्मण निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाडा
4. सोमेश्वर पुत्र जमना लाल ब्राह्मण निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. हरीशंकर पुत्र कन्हैया लाल ब्राह्मण निवासी गुरल तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा , तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 280/2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.9.16

अधिवक्तागण :–

1. श्री श्री एम एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
3. श्री अम्बा लाल कुमावत अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 4.6.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं रामपाल आत्मज कन्हैया लाल ब्राह्मण /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खाते कब्जेकाश्त की कृषि भूमि ग्राम गुरला पटवार मण्डल गुरलां निरीक्षण क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 845 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 846 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 847 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 849 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 855 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। उक्त कुलिया कृषि भूमि संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जेकाश्त एवं आधिपत्य की होकर वादीगण अपने 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है और इसी प्रकार उक्त आराजी मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का 1/2 हक हिस्सा है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर बाहमी बंटवाडा हो रखा है वादीगण अपने 1/2 हक हिस्से पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कराने के अधिकारी हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन उक्त कृषि भूमि के लगान इत्यादि एवं घास–फूस एवं फसल काश्त करने को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजियात का विभाजन कराने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण हर बार टालमटोल करते रहे और दिनांक 15.9.2007 को विभाजन कराने से साफ तौर पर इंकार हो गये । अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 विभाजन की डिक्री फरमाई जावे कि वाद पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कुलिया कृषि भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग से राजस्व रेकार्ड में दर्ज फरमाया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी यथासमय नहीं हो सकी थी। अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने जब गिरदावर एवं पटवारी मौके पर पहूँचे तब जानकारी हुई। उसके उपरान्त अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । निर्णय की प्रति दिनांक 23.2.2017 को निर्णय की प्रति प्राप्त हुई। उसके उपरान्त अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में वाद में वर्णित तथ्यों के बाबत अवलोकन नहीं किया गया एवं मात्र सरमाईजेज एण्ड कन्जेक्सर के आधार पर वादीगण के वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण बकाया साक्ष्य वादी हेतु विचाराधीन था तथ अधीनस्थ न्यायालय के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 9.7.2016 को अन्य कार्य में व्यस्त होन से पेशी दिनांक 11.11.2016 की नियत फरमाई गई किन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.11.2016 से पेशी के पूर्व ही एक प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा पी डी जारी किये जाने का अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी । जबकि इसकी कोई सूचना प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वादी के वाद में अंकित तथ्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 नजरी बाई पत्नि जमना लाल ब्राह्मण की मृत्यु दिनांक 22.3.2013 को ही हो चुकी थी। जिस हेतु वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.2013 को प्रस्तुत किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत पत्रावली का कोई अवलोकन नही कर अपीलाधीन निर्णिय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का जवाब दावे के साथ क्रोस सुट प्रस्तुत किया गया था जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर मात्र वादीगण के वाद में अंकित तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण हाजा के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर ट्रायल कमेन्स हो साक्ष्य वादी में हरीशंकर पुत्र कन्हैया लाल ब्राह्मण के बयान लेखबद्ध किये गये थे तथा प्रकरण बकाया साक्ष्य वादी व आदेश 22 नियम 04 के प्रार्थना पत्र में विचाराधीन था किन्तु अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा तनकियात पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर तथा न ही पत्रावली का का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जब वादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजियात कयशुदा न हो मात्र वादीगण के पिता कन्हैया लाल ब्राह्मण ने ए एस ओ से मिलाभगती कर अपना नाम वादग्रस्त आराजी में दर्ज करवा दिया जिस बाबत प्रतिवादीगण/अपलाण्ट्स की ओर से कोस सुट बाबत वादग्रस्त आराजयात में वादीगण का नाम हटाये जाने तथा आराजी नम्बर 852, 856 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में वादीगण का नाम हटा प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किये जाने का प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के अन्तर्गत दिनांक 9.9.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व कैम्प गुरला में प्रारंभिक डिक्री जारी करने का आदेश होना बताया है जबकि राजस्व कैम्प गुरला के अन्तर्गत ऐसा कोई किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वादीगण के निर्देशानुसार ही पेशी दिनांक 11.11.2016 से पूर्व ही वादीगण के प्रार्थना पत्र पर विचारण कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को बकाया कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया है। जबकि प्रत्येक दिन के विलम्ब का समुचित कारण दर्शाया जाना नितान्त आवश्यक है।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था। वाद पत्र के साथ जमाबंदी प्रस्तुत की थी। जिसमें वादीगण का 1/2 हक हिस्सा दर्ज है। वादीगण की ओर से श्री हरिशंकर के बयान कराये गये हैं जिसमें जमाबंदी संवत 2056 से 2059 को प्रदर्शित कराया गया था। जिसमें वादीगण का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्सा होना साबित कराया है। जमना लाल कन्हैया लाल दो भाई है। जिनके पिता छोगा लाल है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2020 से 2023 को प्रदर्शित कराया गया है । उक्त दस्तावेज प्रदर्श 3 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न है।

13. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि, पर्चा लगान प्रदर्श 4 में भी जमना लाल एवं कन्हैया लाल को भाई दर्शाया गया है। जो कि संवत 2030 से 2049 है।

14. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि लगान भी शामलाती रूप से जमा कराया गया है । लगान की रसीदें प्रदर्श 6 से प्रदर्श 47 हैं । जहॉ तक कास सुट का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र धारा 53–54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लिए प्रस्तुत किया गया था न की धारा 88 राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। यदि अपीलार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कोई आराजी क्रय की थी तो इतने लम्बे समय तक क्या कर रहे थे। वादग्रस्त आराजी में प्रत्यर्थीगण/वादीगण का नाम दर्ज रेकार्ड है।

15. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब दावे के साथ क्रोस सुट प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा दिया गया था। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था वह 1945 का दस्तावेज है तब से लेकर 2013 तक कोई अनुतोष क्यों नहीं चाहा गया था। इसका कोई कारण नहीं बताया है।

16. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 9.7.2016 गलत अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा हुआ था। बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

17. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधियिम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

18. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–54 राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया । जिसके उपरान्त प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 23.2.2008 को जवाब दावे के साथ क्रोस सुट प्रस्तुत किया गया । उसके उपरान्त प्रकरण तनकियात कायम किये जाने हेतु लंबित रहीं। दिनांक 4.7.2011 को तनकियात कायम की गई। दिनांक 15.9.2011 को साक्ष्य वादी में नियत होने से वादीगण हरिशंकर एवं रामपाल आत्मज कन्हैया लाल के शपथ पत्र पेश हुए एवं प्रकरण को साक्ष्य वादी व जिरह हतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.11.2011 के लिए नियत किया गया । प्रकरण में आगामी तारीख पेशियों पर साक्ष्य वादी से जिरह किये जाने का कोई अंकन नही किया गया है एवं प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवादी दिनांक 12.12.2011 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में दिनांक 28.8.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.8.2012 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश का अंकन किया गया । प्रकरण साक्ष्य वादी में लंबित चल रहा था। दिनांक 20.3.2013 को साक्ष्य वादी हरिशंकर पिता कन्हैया लाल ब्राह्मण से प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। बकाया साक्ष्य से जिरह हेतु प्रकरण लंबित रहा ।

19. दिनांक 9.7.2016 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गुरला में रखा गया परन्तु प्रकरण में राजीनामा नहीं हो से पत्रावली निर्णित नहीं किये जाने का अंकन करते हुए पत्रावली को संबंधित न्यायालय में वापस लौटाये जाने का अंकन किया गया है एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.9.2016 नियत की गई थी। दिनांक 14.9.2016 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में राजस्व कैम्प गुरला में प्रारंभिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये थे परन्तु प्रारंभिक डिक्री

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जारी नहीं हुई है। अतः अब भी प्रारंभिक डिक्री जारी कराना फरमावे। जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी नम्बर 845 एवं 846, 847, 849 एवं 855 किता 5 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा का वादी 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवाडा करने की प्रारंभिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार से बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाने का भी निर्देश दिया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.11.2017 नियत की गई।

20. आदेशिका दिनांक 14.9.2016 में दिनांक 9.7.21016 की आदेशिका का अंकन किया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री जारी करना आदेशित किया गया है। जबकि दिनांक 9.7.2016 की आदेशिका में भिन्न अंकन है कि " पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट गुरला में पेश हुई। पक्षकारान उप/अनु. पक्षकारान में राजीनामा न होने से पत्रावली निस्तारित नहीं की जा सकी। संबंधित न्यायालय को वापस लोटाई जाती है। " उक्त आदेशिका में पक्षकारान उपस्थित हैं अथवा अनुपस्थित इसका स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं होना आदेशिका दिनांक 9.7.2016 से स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में दिनांक 14.9.2016 को वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री पारित किये जाने का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं माना जा सकता । मात्र वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 14.9.2016 पारित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.7.2016 की आदेशिका में प्रारंभिक डिक्री पारित किये जाने बाबत किसी निष्कर्षण का अंकन नहीं किया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को आदेशिका दिनांक 9.7.2016 में स्पष्ट अंकन के अभाव में प्रारंभिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

डिक्री पारित कये जाने के आदेश को विधिअनूकुल नहीं माना जा सकता ।

21. पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रकरण साक्ष्य वादी के उपरान्त जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी में लंबित चल रहा था। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के साथ क्रोस सूट प्रस्तुत किया गया था जिस पर भी कोई विचारण नहीं किया गया । जबकि प्रकरण में साक्ष्य के उपरान्त क्रोस सूट का निर्धारण करना चाहिये था। प्रकरण में दिनांक 19.6.2013 को वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र कायम मुकाम हेतु प्रस्तुत किया गया था। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त करने के हस्ताक्षर है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत आदेशिका में कोई अंकन नहीं किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई विचारण नहीं किया गया है।

22. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से पूर्व पत्रावली में अंकित आदेशिका दिनांक 9.7.2016 से भिन्न अंकन किया है तथा क्रोस सूट पर कोई विचारण नहीं किया है। पत्रावली अनुसार कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी लंबित था। साक्ष्य वादी के उपरान्त जिरह प्रतिवादी में प्रकरण लंबित था। प्रकरण में किसी प्रकार का राजीनामा नहीं होने से प्रकरण को लौटाने का अंकन दिनांक 9.7.2016 की आदेशिका में अंकन किया गया । उसके बावजूद अपीलाधीन आदेश एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश एवं प्रारंभिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व विधिवत प्रकरण में विचाराधीन प्रार्थना पत्र, क्रोस सुट पर विचारण नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

23. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.3.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत प्रक्रिया अपनाकर निर्णय एवं प्रांरभिक डिक्री पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/7/19 को उपस्थित रहे।

24. आदेश आज दिनांक 4.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

4/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा